मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 11–1/2018/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 18/1/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :– शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में किश्तो का निर्धारण।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–11–2/2016/नियम/चार दिनांक 31–3–2016

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्र. 11527/2014 स्टेट आफ पंजाब विरूद्व रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18–12–2014 के संबंधित अंश को उद्धृत करते हुये लेख है कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के निर्देशों को क्रियान्वित किये जाने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाकर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विभाग के स्तर से उपयुक्त आदेश जारी किया जाये।

2. यह समक्ष में आया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति से अवगत होने के उपरांत भी संबंधित अधिकारियों द्वारा शासकीय सेवक को हुए अधिक भुगतान की वसूली व वेतन निर्धारण का तदनुसार नियमन सामयिक रूप से नहीं किया जाता है । इस शिथिलता के परिणामस्वरूप जहां अनियमित भुगतान की निरंतरता रहती है वहीं सेवा निवृत्ति के उपरांत प्रकरण के निराकरण के समय वसूली की राशि को संदर्भित परिपत्र के अंतर्गत माफ करने की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय की भी सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के पक्ष में सहानुभूती रहती है।

3. अतः अपेक्षा है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति पर संबंधितों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावे तथा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक से यदि अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की जा सक रही है तब दोषी शासकीय सेवकों से ऐसी राशि वसूल की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/1/18

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक एफ 11–1/2018/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 18/1/2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग